



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-31072025-265126
CG-GJ-E-31072025-265126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 532]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 24 जुलाई, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2025

आईएफएससीए/जीएन/2025/007__अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025 (जिसे इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अध्याय VI, जिसका शीर्षक 'अन्य निधि प्रबंधन कार्यकलाप' है, में मूल विनियमों के विनियम 107 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—
“

भाग घ : तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएँ

107क. एक एफएमई इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी तृतीय-पक्ष की ओर से कोई योजना प्रारंभ कर सकता है।

परिभाषाएँ

107ख. इस भाग के प्रयोजन के लिए:

- i. "तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएँ" या "तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था" उस कार्यकलाप को संदर्भित करती है जिसमें कोई रजिस्ट्रीकृत एफएमई किसी तृतीय-पक्ष की ओर से योजनाओं का प्रबंधन करती है;
- ii. "तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधक" का तात्पर्य और इसमें समाहित एक ऐसी एंटीटी से है जो निधि प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश सलाह या किसी अन्य समान कार्यकलाप, चाहे किसी भी नाम से जानी जाए, के प्रयोजनों के लिए अपने निगमन के देश में संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक के साथ रजिस्ट्रीकृत या विनियमित है, और जो किसी रजिस्ट्रीकृत एफएमई से तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएँ प्राप्त करती है।

प्राधिकरण प्राप्त करने का दायित्व और अनुपालन

107ग. (1) किसी तृतीय पक्ष की ओर से योजनाएँ स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का इरादा रखने वाला एफएमई इस भाग में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएँ शुरू करने के लिए इस भाग के अंतर्गत प्राधिकरण से प्राधिकार की अनुमति लेगा और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण. — ऐसे एफएमई अपने रजिस्ट्रीकरण की श्रेणी के अनुसार, इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत योजनाएँ स्थापित कर सकते हैं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं या अन्य कार्यकलाप भी कर सकते हैं, जहाँ किसी तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

(2) एफएमई अपने समग्र अनुपालन कार्य को सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी होगा और आईएफएससी में अपने परिचालन के आकार के अनुरूप संसाधन तैनात करेगा, ताकि प्रत्येक योजना के अनुपालन पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया जा सके।

(3) एफएमई और प्रत्येकी इस भाग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) एफएमई की क्षतिपूर्ति व्यवस्था सहित, तृतीय-पक्ष के साथ किसी भी व्यवस्था के बावजूद, एफएमई तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी दायित्वों या देयताओं के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

एफएमई का विधिक रूप

- 107घ. (1) इस भाग के अंतर्गत प्राधिकार चाहने वाले एफएमई को आईएफएससी में कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या प्राधिकरण द्वारा अनुमत किसी अन्य रूप में स्थापित किया जाएगा।
- (2) किसी कंपनी के मामले में, उसके संस्थापन प्रलेख में, और किसी एलएलपी के मामले में, उसके सीमित देयता भागीदारी समझौते में, एक उपबंध शामिल होगा जो उसे तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

प्रधान अधिकारियों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

- 107ङ. (1) एफएमई तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधित प्रत्येक योजना के लिए, एक समर्पित व्यक्ति को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा, जो उस योजना से संबंधित समग्र कार्यकलापों, जिसमें निधि प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) किसी रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा) के मामले में, उसकी स्व-प्रबंधित योजनाओं या पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए अनुपालन अधिकारी, तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधित योजनाओं के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकता है।

- (3) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) के मामले में, उसकी खुदरा योजनाओं के लिए अनुपालन अधिकारी, उन गैर-खुदरा योजनाओं, जो या तो स्व-प्रबंधित हैं या तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से प्रबंधित हैं, के लिए अनुपालन अधिकारी से अलग होगा।
- (4) विनियम 7 के उप-विनियम (4) के अनुसार अतिरिक्त केएमपी की नियुक्ति के लिए, तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधित योजनाओं के एयूएम पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधित निधियों की निधि योजनाओं के एयूएम शामिल नहीं होंगे।
- (5) इस विनियम के उप-विनियम (1) और (3) के अंतर्गत नियुक्त केएमपी में कोई भी नियुक्ति या परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

निवल मूल्य अनिवार्यता

107च. तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार चाहने वाले एफएमई को, हर समय 500,000 अमेरिकी डॉलर या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य राशि का अतिरिक्त निवल मूल्य बनाए रखना होगा;

स्पष्टीकरण. - ऐसा निवल मूल्य निम्नलिखित से अलग और इसके अतिरिक्त होगा:

- (i) योजनाओं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं या रजिस्ट्रीकरण की श्रेणी के अनुसार इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य कार्यकलाप के लिए एफएमई के रूप में उसके कार्यकलापों के लिए लागू न्यूनतम निवल मूल्य अनिवार्यताएं, जिसमें कोई तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था शामिल नहीं है; और
- (ii) आईएफएससी के भीतर या बाहर किसी अन्य कार्यकलाप के लिए लागू न्यूनतम निवल मूल्य अनिवार्यताएं।

तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत योजनाएँ

- 107छ. (1) एफएमई इन विनियमों के अध्याय III के भाग ख के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके के अनुसार और उसके अनुसार तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अधीन प्रतिबंधित योजनाओं का प्रबंधन करेगा:
- बशर्ते कि ऐसी योजना 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य मूल्य से अधिक न हो।
- (2) तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत, तृतीय-पक्ष को विनियम 35 के उप-विनियम 3, विनियम 35 के उप-विनियम 4 और विनियम 40 के अंतर्गत निर्दिष्ट अनिवार्यताओं के अनुपालन के प्रयोजनार्थ एफएमई का सहयोगी माना जाएगा।

'तृतीय-पक्ष' की पात्रता

107ज. एफएमई केवल ऐसे तृतीय-पक्ष को तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाएँ प्रदान कर सकता है जो तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधक है और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात्:

- (क) यह भारत, आईएफएससी या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में निगमित है;
- (ख) यह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करता है;
- (ग) इसके कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के पास पर्याप्त और अपेक्षित अनुभव है; और,
- (घ) तृतीय पक्ष, उसके अधिकारी, निदेशक/भागीदार/नामित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और नियंत्रक शेयरधारक विनियम 9 के अनुसार 'उपयुक्त और योग्य' व्यक्ति हैं।

स्पष्टीकरण. - तृतीय पक्ष निधि प्रबंधक, तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे, भले ही उनकी अंतिम या अंतरिम मूल एंटिटी निधि प्रबंधन कार्यकलापों में संलग्न न हो।

निवेशकों के लिए प्रकटीकरण

107झ. तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत प्रबंधित प्रतिबंधित योजनाओं के लिए, विनियम 36 के अंतर्गत प्रकटीकरण करने के अतिरिक्त, एफएमई प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रमुख स्थान पर एक पृथक शीर्ष/खंड के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगा:

- (क) तृतीय पक्ष और ऐसे तृतीय पक्ष के व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने वाले व्यक्तियों का विवरण;
- (ख) एफएमई और ऐसे तृतीय पक्ष की पृथक जिम्मेदारियों का विवरण;
- (ग) तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित हितों के टकराव और ऐसे टकरावों से बचने, उन्हें हल करने और कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय; और
- (घ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रकटीकरण।

जोखिम प्रबंधन

107ज. एफएमई में निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन उपाय लागू होंगे:

- (क) आंतरिक नीति जिसमें तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट जोखिमों और उनसे उत्पन्न होने वाले विवादों अभिनिर्धारण और समाधान हेतु व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा शामिल होगा;
- (ख) सभी योजनाओं, चाहे वे स्व-प्रबंधन के अंतर्गत हों या तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन के अंतर्गत आती हों, के लिए निधियों का पृथक्करण और परिचालन स्वतंत्रता;
- (ग) निवेशकों की शिकायतों और विवादों के समाधान हेतु विद्यमान तंत्र का विस्तार तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत योजनाओं के निवेशकों की शिकायतों और विवादों तक किया जाएगा;
- (घ) तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन के संबंध में नियामक अनिवार्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा और समीक्षा करने हेतु आंतरिक नीति; और उस बारे में न्यासियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अन्य उपाय।

एफएमई के अन्य दायित्व

107ट. (1) एफएमई का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि-

- (क) तृतीय पक्ष विनियम 107ज के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है;
 - (ख) तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत एफएमई द्वारा स्थापित योजनाओं को एफएमई की योजनाएं माना जाता है;
 - (ग) किसी भी प्रतिबंधित योजना और उसके निवेशकों के प्रति एफएमई का दायित्व तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन सेवाओं के कारण प्रभावित नहीं होता है;
 - (घ) तृतीय पक्ष सौंपे गए कार्यों को करने के लिए योग्य और सक्षम है, और ऐसे तृतीय पक्ष को उचित सावधानी और सतर्कता के साथ शामिल किया गया है;
 - (ङ) तृतीय पक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की निगरानी एफएमई द्वारा की जाती है और ऐसा करते समय, एफएमई ऐसे तृतीय पक्ष को यथा-आवश्यक निदेश जारी कर सकता है;
 - (च) तृतीय पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था एफएमई को निवेशकों के हित में या प्राधिकरण के निदेश पर किसी भी समय व्यवस्था को समाप्त करने में सक्षम बनाती है;
 - (छ) यह प्रत्येक तृतीय-पक्ष द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निरंतर समीक्षा करता है और समय-समय पर इन रिपोर्टों को संबंधित प्रत्ययी संस्थाओं के साथ साझा करता है;
 - (ज) एक उपयुक्त क्षतिपूर्ति तंत्र विद्यमान है जिसके अधीन तृतीय-पक्ष से तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अधीन प्रबंधित निधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित देयताओं से एफएमई को क्षतिपूर्ति किए जाने की अपेक्षा होती है;
 - (झ) यह प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसे शुल्क का भुगतान करता है, और
 - (ञ) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अन्य अनिवार्यताएं;
- (2) एफएमई तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन सेवाओं के संबंध में तृतीय-पक्ष की सभी व्यतिक्रमों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा;

विविध

- 107ठ. इन विनियमों के अंतर्गत जारी परिपत्र या दिशानिदेश, यदि कोई हों, सहित अन्य सभी प्रासंगिक उपबंध, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों, तृतीय-पक्ष निधि प्रबंधन व्यवस्था के अधीन प्रबंधित योजनाओं के लिए इस भाग के अधीन अधिकृत एफएमई पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- 107ड. यह भाग एफएमई की ऐसी योजनाओं पर लागू नहीं होगा जहाँ मूल एंटिटी या एफएमई की कोई सहयोगी एंटिटी एफएमई को निधि प्रबंधन संबंधी कोई सहायता या सलाह प्रदान करती है।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./265/2025-26]

नोट:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025, प्रमुख विनियम, भारत के राजपत्र में 13 फरवरी, 2025 को एफ. संख्या आईएफएससीए/जीएन/ 2025/002 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 24th July, 2025

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (FUND MANAGEMENT) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

IFSCA/GN/2025/007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025, (hereinafter referred to as the principal regulations), namely: -

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Chapter VI titled 'OTHER FUND MANAGEMENT ACTIVITIES', after regulation 107 of the principal regulations, the following Part shall be inserted, namely:—

“

PART D: THIRD-PARTY FUND MANAGEMENT SERVICES

107A. A FME may launch a scheme on behalf of a third-party in accordance with the provisions of this Part.

Definitions

107B. For the purpose of this Part:

- i. “third-party fund management services” or “third-party fund management arrangement” refers to the activity wherein a Registered FME manages the schemes on behalf of a third-party;
- ii. “third-party fund manager” means and includes an entity registered or regulated, for the purposes of fund management, portfolio management, investment advisory or any other similar activity, by whatever name called, with the concerned financial sector regulator in the country of its incorporation, and which avails the third-party fund management services from a Registered FME.

Obligation to seek Authorisation and compliances

- 107C. (1) A FME intending to set up and manage schemes on behalf of a third-party shall seek authorisation from the Authority under this Part for undertaking third-party fund management services in accordance with the terms and conditions specified in this Part and shall comply with other conditions as may be specified by

the Authority from time to time.

Explanation. – Such FME may also set up schemes, offer Portfolio Management Services or carry out other activities as permitted under these regulations, as per the category of its registration, wherein a third-party fund management arrangement is not involved.

(2) The FME shall be responsible for strengthening its overall compliance function and shall deploy resources commensurate to the size of its operations in the IFSC, so as to ensure adequate focus on the compliance for each scheme.

(3) The FME and the fiduciaries shall ensure compliance with this Part.

(4) Notwithstanding any arrangement of FME with the third-party including the indemnification arrangement, the FME shall continue to be liable for any and all obligations or liabilities arising in connection with the third-party fund management arrangement.

Legal Form of the FME

107D. (1) The FME seeking authorisation under this Part shall be set up in the IFSC in the form of a company, limited liability partnership (LLP) or any other form as may be permitted by the Authority.

(2) In case of a company, its memorandum of association, and in case of a LLP, its limited liability partnership agreement, shall contain a provision enabling it to offer third-party fund management services.

Appointment of Principal Officers and other Key managerial personnel

107E. (1) For each scheme managed under the third-party fund management arrangement, the FME shall appoint a dedicated person as the Principal Officer who shall be responsible for the overall activities with respect to that scheme, including but not limited to fund management, risk management and compliance.

(2) In case of a Registered FME (Non-Retail), the Compliance Officer for its self-managed schemes or Portfolio Management Services may also act as the Compliance Officer for the schemes managed under the third-party fund management arrangement.

(3) In case of a Registered FME (Retail), the Compliance Officer for its Retail Schemes shall be separate from the Compliance Officer for the Non-Retail Schemes that are either self-managed or managed through third-party fund management arrangement.

(4) For appointment of additional KMP in terms of sub-regulation (4) of regulation 7, the AUM of the schemes managed under the third-party fund management arrangement shall also be considered, excluding the AUM of fund of funds schemes managed under third-party fund management arrangement.

(5) Any appointment or changes in the KMPs appointed under sub-regulations (1) and (3) of this regulation shall be carried out in the manner specified by the Authority.

Net worth requirement

107F. A FME seeking authorisation to offer third-party fund management services shall, at all times, maintain an additional net worth of USD 500,000 or such other amount as may be specified by the Authority;

Explanation. – Such net worth shall be separate and in addition to:

- (i) the minimum net worth requirements applicable for its activities as a FME for the schemes, Portfolio Management Services or any other activities as permitted under these regulations as per the category of its registration, wherein a third-party fund management arrangement is not involved; and
- (ii) the minimum net worth requirements applicable for any other activities within or outside the IFSC.

Schemes under third-party fund management arrangement

107G. (1) A FME shall manage Restricted Schemes under third-party fund management arrangement in accordance with and in the manner as specified under Part B of Chapter III of these regulations:

Provided that such scheme does not exceed the corpus of USD 50 million or such other value as may be specified by the Authority.

(2) The third-party, under the third-party fund management arrangement, shall be deemed to be an associate of the FME for the purpose of compliance with the requirements specified under sub-regulation 3 of regulation 35, sub-regulation 4 of regulation 35 and regulation 40.

Eligibility of 'third-party'

107H. A FME may provide third-party fund management services only to such third-party who is a third-party fund manager and meets the following criteria, namely:

- (a) It is incorporated either in India, IFSC or a foreign jurisdiction;
- (b) It allocates adequate resources to discharge its functions;
- (c) The persons responsible for its functions have adequate and requisite experience; and,
- (d) The third-party, its officers, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are 'fit and proper' persons in terms of regulation 9.

Explanation.- A third-party fund manager shall be eligible to avail third-party fund management services even if its ultimate or interim parent entity is not engaged in the fund management activities.

Disclosures to investors

107I. For the Restricted Schemes that are managed under the third-party fund management services, besides making disclosures under regulation 36, the FME shall make the following disclosures under a separate head / section at a prominent place in the placement memorandum:

- (a) Details of the third-party and the persons who effectively conduct the business of such third-party;
- (b) Details of the segregated responsibilities of the FME and such third-party;
- (c) Potential conflicts of interest that may arise due to the third-party fund management arrangement along with the measures proposed to avoid, resolve and mitigate such conflicts; and
- (d) such other disclosures as may be specified by the Authority.

Risk Management

107J. The FMEs shall have the following risk management measures in place:

- (a) An internal policy comprising of a comprehensive risk management framework to identify and address the unique risks associated with third-party fund management and conflicts emerging from the same;
- (b) Segregation of funds and operational independence for all the schemes, whether under self-management or third-party fund management;
- (c) Existing mechanism to address the investors' complaints and disputes is extended to the complaints and disputes of the investors of the schemes under third-party fund management arrangement;
- (d) An internal policy for conducting periodic internal audits and reviews to ensure compliances with the regulatory requirements with respect to third-party fund management; and the submission of the report thereon to the fiduciaries; and
- (e) Such other measures as may be specified by the Authority.

Other obligations of the FME

107K. (1) It shall be the duty of the FME to ensure that-

- (a) the third-party meets the eligibility criteria as specified under regulation 107H;
- (b) the schemes set up by the FME under the third-party fund management arrangement are treated to be the schemes of the FME;
- (c) the liability of the FME towards any Restricted Scheme and its investors is not affected due to the third-party fund management services;
- (d) the third-party is qualified and capable of undertaking the entrusted functions, and that such third-party was onboarded with due care and caution;
- (e) the activities undertaken by the third-party are monitored by the FME and in doing so, the FME may issue such instructions to such third-party as it may deem necessary;
- (f) the third-party fund management arrangement enables the FME to terminate the arrangement at any time, in the interest of investors or on the directions of the Authority;
- (g) it reviews the services rendered by each third-party on an ongoing basis and periodically shares these reports with the respective fiduciaries;

- (h) a suitable indemnity mechanism is in place which requires the third-party to indemnify the FME from any potential liabilities arising from the funds managed under the third-party fund management arrangement;
 - (i) it pays such fees within such timelines as specified by the Authority, and
 - (j) such other requirements as may be specified by the Authority.
- (2) The FME shall be responsible for all the acts of omissions and commission of the third-party in relation to the third-party fund management services;

Miscellaneous

- 107L. All other relevant provisions of these regulations including the circulars or guidelines, if any, issued thereunder, unless specified otherwise, shall mutatis mutandis apply to the FMEs authorised under this Part for the schemes managed under the third-party fund management arrangement.
- 107M. This part shall not be applicable to such schemes of FME wherein the parent entity or any associate of the FME provides any fund management related support or advice to the FME.”

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./265/2025-26]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025, the principal regulations, were published in the Gazette of India on February 13, 2025 vide F. No. IFSCA/GN/2025/002.